न्यायालयः– अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01, शाहपुरा, जयपुर जिला, राजस्थान

पीठासीन न्यायाधीश : सुन्दरलाल बंशीवाल, आर.जे.एस (डीजे कैडर)

विविध दाण्डिक प्रकरण संख्या : 11/2024

एनसीवी नम्बर : 11/2024

सैशन प्रकरण : 32/2023

घनश्याम पुत्र जयराम निवासी बिटखावाली तन मनोहरपुर, जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, शाहपुरा, जिला–जयपुर, राजस्थान,

...अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रकिया संहिता

उपस्थितः–

1– श्री नरेश कुमार आत्रेय, अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से।
2– श्री सीताराम नोसादर, अभियुक्त की ओर से।
3– अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

आदेश **दिनांक 15.02.2024**

प्रार्थी घनश्याम की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 141/2023, अपराध अन्तर्गत धारा 498ए, 304 भारतीय दंड संहिता, पुलिस थाना भाबरू में जप्तशुदा वाहन सामान एवं मोटरसाईकिल को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु हस्तगत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रकरण में प्रार्थीया मृतका सीमा देवी का स्त्रीधन दहेज इत्यादि सामान पुलिस थाना भाबरू में उक्त प्रकरण में जब्त है। प्रकरण में सामान व मोटरसाईकिल इत्यादि फर्द जब्ती अनुसार प्रार्थी परिवादी को दिया जावे। प्रकरण में जब्त सामान व मोटरसाईकिल की पुलिस को कोई आवश्यकता नहीं है तथा वाहन थाने में खुले में खड़ा होने से खराब हो रहा है। उनका यह भी कथन है कि प्रार्थी न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना हेतु तत्पर है। अतः प्रश्नगत सामान व वाहन प्रार्थी को सुपुर्दगी पर दिया जावे।

प्रकरण में विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा बहस में उचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थी घ ानश्याम मृतक सीमा का सगा भाई है तथा उसके द्वारा ही मुकदमा नंबर 141/2023 अंतर्गत धारा 304–बी, 498–ए भारतीय दंड संहिता में मुकदमा पुलिस थाना भाबरू में पंजीबद्ध करवाया गया है तथा जिस पर दौराने अनुसंधान सम्बद्ध अनुसंधान अधिकारी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सम्बद्ध फर्द जब्ती के द्वारा मोटरसाईकिल सहित सामान को जब्त किया जाना प्रकट है। प्रकरण में सम्बद्ध फर्द जब्ती में मोटरसाईकिल सहित अन्य सभी सामान स्त्रीधन के रूप में मृतका को उसके विवाह के समय दिया जाना प्रकट है।

प्रकरण में सम्बद्ध फर्द जब्ती में उल्लिखित सामान सहित सम्बद्ध मोटरसाईकिल को प्रार्थी घनश्याम ने अंतरिम सुपुर्दगी पर लिये जाने की प्रार्थना की है। प्रकरण में अभियुक्त की ओर से सम्बद्ध सामान मोटरसाईकिल सहित, प्रार्थी घनश्याम को अंतरिम सुपुर्दगी पर दिये जाने के तथ्य बाबत, बहस के दौरान किसी भी रूप में कोई आपत्ति नहीं की गयी है। प्रकरण में आरोप पत्र पेश हो चुका है। तब प्रकरण में चूंकि अनुसंधान में प्रश्नगत वाहन की मुकामी पुलिस को कोई आवश्यकता भी नहीं होना प्रकट होता है तथा निश्चित रूप से **फर्द जब्ती में उल्लिखित सामान व वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 52 एस.एफ. 0328** के खुले में पड़े रहने से उसके खराब होने की सम्भावना है। तब प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। **परिणामतः**

प्रार्थी **घनश्याम पुत्र जयराम निवासी बिटखावाली तन मनोहरपुर, जिला जयपुर**की ओर से प्रस्तुत हस्तगत आवेदन अन्तर्गत धारा 457 दण्ड प्रक्रिया संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी की ओर से **4,00,000/–** रूपये का सुपुर्दगीनामा व **4,00,000/–** रूपये का जमानतनामा इस न्यायालय के संतोषप्रद निम्न शर्तों सहित प्रस्तुत कर तस्दीक कराया जावे कि :–

1. प्रार्थी **फर्द जब्ती में उल्लिखित सामान व वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 52 एस.एफ. 0328** को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के पश्चात् उक्त सामान व वाहन को किसी भी रूप में अन्तरित/हस्तांतरित नहीं करेगा तथा इनके रंग रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्धन नहीं करेगा। 2. प्रार्थी उक्त सामान व वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने से पूर्व स्वयं के खर्चे पर

थानाधिकारी/अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में वाहन के ईंजन नम्बर व चेचिस नम्बर दर्शित करते हुए चारों ओर के रंगीन फोटोग्राफ्स खिंचाकर एक माह के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत कर देगा।

3. साक्ष्य के दौरान उक्त सामान व वाहन की पहचान के संबंध में आपत्ति नहीं करेगा।

4. प्रार्थी वाहन का प्रयोग किसी भी आपराधिक गतिविधियों में नहीं करेगा।

तो प्रकरण में **फर्द जब्ती में उल्लिखित सामान व वाहन मोटरसाईकिल नंबर आरजे 52 एस.एफ. 0328** प्रार्थी घनश्याम पुत्र जयराम को प्रकरण के अंतिम निर्णय तक अन्तरिम तौर पर सुपुर्दगी पर दिये जाने का आदेश दिया जाता है।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01
शाहपुरा, जयपुर जिला

आदेश आज दिनांक 15–02–2024 को विवृत न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया व हस्ताक्षरित किया गया।

(सुन्दर लाल बंशीवाल)
अपर सेशन न्यायाधीश, संख्या–01
शाहपुरा, जयपुर जिला